

विभाग / कार्यालय का नाम .....  
 अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षणार्थं रोस्टर कार्यान्वित करने के लिए रहे जानेवाले रजिस्टर का फारम, पृष्ठों का षेड या ग्रुप.....  
 स्थायी / अस्थायी.....  
 पिछले वर्षों से प्रचलित (कैरी फोरवर्ड) की गई भर्ती का विवरण

आरक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	भर्ती का वर्ष	रोस्टर और विटु संख्या	सामान्य या लागू किए जानेवाले रोस्टर के अनुसार, अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति का है, यदि नहीं तो विखंडों में से कोई नहीं।	अगर आरक्षित पद पर गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति का उम्मीदवार नियुक्त हुआ है तो क्या कामिक विभाग की सहमति ली गयी।	नियुक्ति/अभ्युक्ति प्राधिकारी या अन्य अधिकृत यदाधिकारी का हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	

पत्र संख्या ३/एस-२-१०११/७२-२०४४४-का०

बिहार सरकार  
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री पी० के० जे० मेनन,  
मुख्य सचिव, बिहार,

विषय - सभी राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में नियुक्ति विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक १३ नवम्बर १९७२।

महासचय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्रांक २१०७, दिनांक ८ फरवरी १९८२ की ओर जिसमें यह बत-  
लाया गया था कि राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में अंतिम आदेश प्राप्त करने के पहले कार्मिक  
विभाग की सहमति ले ली जाए। आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी-किसी  
विभाग द्वारा इस अनुदेश का पालन नहीं किया जाता है और बिना कार्मिक विभाग की सहमति के ही विभाग द्वारा नियुक्ति  
एवं प्रोन्नति के संबंध में निर्णय ले लिया जाता है। कार्मिक विभाग की प्राप्त कई संचिकाओं को देखने से पता चलता  
है कि अधिकांश विभागों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों की अवहेलना  
की गयी है, जो सर्वथा अनूचित है।

२. अतः अनुरोध है कि इस पर व्यक्तिगत ध्यान रखें कि राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के सभी  
मामलों में संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय भेजने के पूर्व या उन राजपत्रित पदाधिकारियों के मामलों में जिनका जिनके लिए  
मंत्रिपरिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है, अंतिम आदेश प्राप्त करने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है  
जिससे मंत्रि परिषद्/प्रभारी मंत्री को समाधान हो जाय कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के दावे पर समुचित  
विचार कर लिया गया है।

पी० के० जे० मेनन,  
मुख्य सचिव, बिहार

पत्र संख्या का०-१४८३१

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्रीमती मालती सुनीला मिश्रा,  
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त

दिनांक २२ सितम्बर १९७२

विषय - अनुसूचित जाति, जन-जाति के आवेदकों को राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार इस बात के लिए विन्तित है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्यों को राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी सेवाओं में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाय। इसके लिए समय-समय पर इन जातियों के सदस्यों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी तथा विभागीय प्रोन्नति में पद-आरक्षण संबंधी, सरकारी आदेश निर्गत किये गये हैं।

२. नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या III-३—एल०-६-५० ए-९९०९, दिनांक १३ नवम्बर १९५३ द्वारा सभी विभाग को अनुसूचित जाति/जन-जाति के आवेदकों के कुल नियोजित लोगों में संख्या तथा की गई नियुक्तियों में संख्या संबंधी आंकड़े प्रति वर्ष देने के अनुदेश दिये गये थे। इसर इन जातियों के लिए विभागीय प्रोन्नति में पद आरक्षण के अनुदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं। अतः इन जातियों के सदस्यों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ों के लिए निर्धारित प्रपत्र में विस्तार करना आवश्यक हो गया है और इसके लिए पुनरीक्षित प्रपत्र संलग्न है। (परिशिष्ट १, २, ३, एवं ४)।

३. अतः निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि भविष्य में सभी विभाग इन जातियों के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग तथा श्रम एवं नियोजन विभाग, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार (नियोजन निदेशालय) को निर्धारित समय पर भेज देने की कृपा करें। संलग्न प्रपत्र को भरने के लिए एक अनुदेश (गाइड लाईन) भी बनायी गयी है जिससे संलग्न प्रपत्र को भरने में सभी विभागों को सुविधा मिलेगी (परिशिष्ट ५)।

४. ये आंकड़े प्रत्येक कलेण्डर वर्ष (१ जनवरी से ३१ दिसम्बर) के लिए दिये जाने हैं और संबंधित विभाग की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने विभाग संबंधी सभी पदों (मन्त्रालय, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयों के इत्यादि) के बारे में समुचित आंकड़े, कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग तथा श्रम एवं नियोजन विभाग (नियोजन निदेशालय) को १ मार्च तक निश्चित ही दें।

५. ३१ दिसम्बर १९७२ की स्थिति तथा १९७२ वर्ष में की गयी नियुक्तियों के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में १५ दिसम्बर १९७३ तक निश्चित ही भेज दिये जायें, भविष्य में १९७३ वर्ष के आंकड़े १ मार्च १९७४ तक भेज देने होंगे।

६. पहले जो प्रपत्र निर्धारित किया गया था, उसमें स्थायी एवं अस्थायी पदों के आंकड़े अलग से दिये जाते थे। आजतक बहुत से पद अस्थायी हैं और जो भी अस्थायी पद तीन महीने से ज्यादा अवधि के होते हैं उनमें पद आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः संलग्न प्रपत्र में अस्थायी एवं स्थायी पदों को मिलाकर ही आंकड़े दिये जाने हैं। तीन महीने से कम अवधि के पदों को अलग से दर्जाना है।

७. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार इन जातियों के सदस्यों की विभिन्न सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीयस्तर पर, राज्यस्तर पर एवं जिलास्तर पर समितियाँ गठित की गयी हैं। जिलास्तर पर समिति का गठन जिलाधीनता में किया गया है और संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी इन समितियों के सदस्य-सचिव हैं। इन समितियों को भी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों में की गयी नियुक्तियाँ तथा उनमें इन जातियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों/विभागीय जिला अधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों आदि को अनुरोध दे दें कि वे अपने कार्यालय संबंधी आंकड़ों जब अपने विभाग को भेजते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी एवं एक प्रतिलिपि जिला नियोजन पदाधिकारी को जिनके कार्यक्षेत्र में उनका कार्यालय स्थित है, भेज दें।

८. इस पत्र को निर्गत होने से नियुक्ति विभाग की ज्ञाप संख्या ९९०९, दिनांक १३ नवम्बर १९५३ को जहाँतक इन जातियों के नियुक्ति संबंधी आंकड़े भेजने का संबंध है, संशोधित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,  
मालती सुनीला सिन्हा,  
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या १४८७१-का०

पटना-१५, दिनांक २२ सितम्बर १९७२

प्रतिलिपि सभी जिला अधिकारियों को अनुलग्नक के साथ सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मालती सुनीला सिन्हा,  
सरकार के उप-सचिव।

प्रपत्र १

## परिशिष्ट १

३१ दिसम्बर को विभाग/कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण

पद/श्रेणी का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जातियों की		अनुसूचित जन-जातियों की		अन्य समुदायों की		अभ्युक्ति
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
स्वीकृत पद	भरे गये पद	४	३	४	६	६	९	१०

स्वायी एवं अस्थायी सभी पद—  
तीन महीने से कम अवधि के  
पदों को छोड़कर—

- श्रेणी १  
श्रेणी २  
श्रेणी ३  
श्रेणी ४

विशेष कोटि के पद

(जो ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं) —

निम्नवर्गीय सहायक  
आबुलिफिक  
मेहतर

अन्य (कृपया स्पष्ट कर दें)  
तीन महीने से कम अवधि के पद

जीव

प्रपत्र २

परिशिष्ट ३

वर्ष में की गयी नियुक्तियों के संबंध में विवरण—अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

विभाग/कार्यालय का नाम—

कृपया बताएं कि किस कारणों से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों को नियुक्त किया गया। क्या इसके लिये सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गयी?

ऐसी आरक्षित रिक्तियों जिनपर गैर-अनुसूचित जातियों के योग्य नियुक्त किये गये

वर्ष में अपगत रिक्तियों जिनपर नियुक्ति किये गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या

रिपोर्ट में वर्ष में अपगत रिक्तियों की संख्या से आरक्षित रिक्तियों की संख्या

पिछले वर्ष की अपकीर्ण रिक्तियाँ

वर्ष के दरम्यान भरे गये कुल पद

पदों की श्रेणी

१

२

३

४

५

७

८

९

श्रेणी एवं अस्थायी सभी पद—  
तीन महीने से कम अवधि के पदों को छोड़कर—

श्रेणी १

श्रेणी ३

श्रेणी ४

कोटि के पद

ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है

निम्नवर्गीय सहायक

क्षत्रिक

(कृपया स्पष्ट करें)

तीन महीने से कम अवधि के पद

रव संख्या ७८११-क० वि०, दिनांक ७ सितम्बर, १९७२, प्रेषक श्री हरिनन्दन ठाकुर, विकास नायक, बिहार, प्रेषित सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष इत्यादि को उसकी प्रतिनिधि ।

विषय -- योजना के सामान्य सेक्टर के अन्तर्गत राज्य की पिछड़ी जातियों को समानुपातिक रूप से लाभ पहुंचाने की व्यवस्था ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि संविधान की धारा ४६ में सम्मिलित निदेशात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार का यह अनिवार्य उत्तरदायित्व है कि समाज की पिछड़ी जातियों के खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के और अधिक हित को विशेष सावधानी से प्रोत्साहित करे और उन्हें सामाजिक अत्याय और हर प्रकार के भ्रष्टाचार से बचाएँ। अतः कमजोर जातियों को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित एवं कार्यान्वित की जानेवाली सामान्य योजनाओं से पर्याप्त लाभान्वित करवाने का प्रश्न बहुत दिनों से राज्य सरकार के विचाराधीन है। १९६२ में ही कल्याण मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में यह अनुशांसा की गई थी कि सामान्य योजनाओं के लिये उपलब्ध राशि का समुचित प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कल्याण के लिए सुशुद्धित कर दिया जाय। इस क्रम में योजना आयोग ने ओवर और टू फोर्थ फाइव-इयर प्लान में इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को आर्थिक विकास हेतु सामाजिक सेवाओं के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक-से-अधिक सहायता मिले। आयोग ने यह भी बताया कि कल्याण विभाग या अन्य विभागों द्वारा उक्त वर्गों के कल्याणार्थ कार्यान्वित की जानेवाली विशेष योजनायें सामान्य विकास प्रयत्नों के अनुपूरक के रूप में ही हैं। अतः यह जरूरी है कि उक्त वर्गों के लोगों के समुचित आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नति के लिए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं से पर्याप्त राशि मिले।

२. उपरोक्त तथ्यों पर संभार विचार के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभागों द्वारा चलाई जानेवाली योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए समुचित उपबंध रहे। १९७१ की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की संख्या १४.११ और ८.७२ प्रतिशत है। इस आधार पर प्रत्येक विभाग के राज्य स्तरीय आव-व्ययक में कुल उपबंधित राशि का २३ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की कल्याण योजना के लिये अलग कर दिया जाय। जिला स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या का विवरण अनुसूची १ में संलग्न है। यह आवश्यक है कि जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या के अनुपात से ही उनके कल्याणार्थ राशि का पर्याप्त अंश सुरक्षित कर दिया जाय। निर्धारित अनुपात न्यूनतम है और इसे आवश्यकता होने पर अन्य वर्गों के हितों को बिना नुकसान पहुंचाये बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त नीति निम्नलिखित प्रकार की योजनाओं के लिए लागू नहीं होगी :-

- १। बहुद्देशीय परियोजना।
- २। वृहत एवं लघु-सिंचाई योजना।
- ३। भारी उद्योग।
- ४। विद्युतीकरण योजना (ग्राम विद्युतीकरण को छोड़कर)।
- ५। सड़क-निर्माण योजना (ग्राम पथ को छोड़कर)।

लेकिन यह सिद्धांत खासकर निम्न प्रकार की योजनाओं में लागू होना चाहिए।

- १। पेयजल की आपूर्ति।
- २। गृह-निर्माण।
- ३। ग्राम-सड़क-निर्माण।
- ४। कृषि विकास एवं लघु-सिंचाई योजना (बंजर भूमि कर्षण एवं भूमि संरक्षण सहित)।
- ५। लघु उद्योग (गृह-उद्योग और ग्राम उद्योग सहित)।

- ६। ग्राम सफाई और स्वास्थ्य योजना।  
 ७। पशुपालन योजना।  
 ८। कोई अन्य नियोजित अभिमुख योजना।

३। कृषिका २ के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक विभाग चालू पंचवर्षीय योजना और आनेवाली योजनाओं के अन्तर्गत दो सूची तैयार करे। सूची १ में सभी विकास योजनाओं के विवरण रहेंगे और सूची-२ में केवल उन योजनाओं के जिनसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को विशेष रूप में लाभ होगा। प्राक्कलित व्यय एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य भी, प्रत्येक योजना की दोनों सूचियों में दिखलाये जायेंगे। इस तरह की दो सूचियां राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर तैयार की जायेंगी। सूची २ तैयार करते समय कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करना श्रेयस्कर होगा अन्यथा कल्याण विभाग से गैर-सरकारी तौर पर राय ले लेना आवश्यक होगा। सूची १ और २ की दो प्रतियां सचिव, कल्याण विभाग के पास वर्ष के प्रारम्भ में ही भेज देने की व्यवस्था की जाय।

४। पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

पत्र संख्या ३/एस २-१०४०/७२—१५५११-का०

बिहार सरकार  
 कार्मिक विभाग।

प्रेषक

श्री शिवनाथ सैगल,  
 सरकार के सचिव,

सेवा में

सरकार के सभी प्रमुख सचिव

सरकार के सभी सचिव/अपर सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

२ भाद्र १९९४ (श०)

पटना-१५, दिनांक

२४ अगस्त १९७२

विषय—लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति अपेक्षित।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि यद्यपि १९५३ में ही सरकारी सेवाओं तथा पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए स्थान आरक्षण के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया और समय-समय पर इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी आदेश का पूर्णतः पालन हो ताकि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में हो जाय, फिर भी अनुसूचित जन-जातियों के लिए विहित कोटा के अनुसार उनकी भर्ती असंतोषजनक ही रही है और सरकार का आदेश जिन उद्देश्य से दिया गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है।

२। उपयुक्त स्थिति में सुधार लाने के उपाय से नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या ११५१९, दिनांक १० जुलाई १९७० द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था कि सीधी भर्ती द्वारा सभी राजपत्रित पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के पहले प्रस्ताव में नियुक्ति विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय ताकि नियुक्ति विभाग द्वारा पूरी जांच के बाद इस बात की सम्पुष्टि हो जाय कि सम्बन्धित विभाग ने जो प्रस्ताव रखा है वह नियमानुकूल है या नहीं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की गयी है या नहीं। कार्मिक विभाग में जो संचिकाएं प्राप्त होती हैं उनकी जांच से ऐसा अनुभव हुआ है कि कई विभागों में नियुक्ति रोस्टर नहीं रखा जाता एवं मांग-पत्र भेजते समय उन जातियों के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में धिक्क नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार ने

अब यह निर्णय लिया है कि जब कभी किसी विभाग द्वारा लोक-सेवा आयोग के पास मांग-पत्र भेजा जाय (चाहे वह राजपत्रित या अराजपत्रित पत्र के लिए हो) तो मांग-पत्र की जांच कार्मिक विभाग से करा ली जाय। अतः अनुरोध है कि जब भी लोक-सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजने की आवश्यकता हो तब मांग-पत्र के प्रारूप में सहमति के लिए संचिका कार्मिक विभाग में भेज दी जाय। संचिका में नियुक्ति रीस्टर की प्रति भी रख दी जाय और यह स्पष्ट कर दिया जाय कि अद्यनयन (कैरी फॉवर्ड) सम्बन्धी आदेश का पालन किया गया है।

३। लोक-सेवा आयोग को जो पत्र भेजा जाय उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया जाय कि मांग-पत्र में कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

विश्वासभाजन,  
शिवनाथ सैगल,  
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या २/एस२-१०४/०७२—१५५५१-का०

२ भाद्र १९५४ (श०)  
पटना-१५, दिनांक—  
२४ अगस्त १९७२

प्रतिनिधि सचिव, लोक-सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जब मांग-पत्र आए तब वह जांच कर लिया जाय कि कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है या नहीं।

शिवनाथ सैगल  
सरकार के सचिव।

संख्या सी० एस० ३/एस० २-१०२६/७२—३०६९

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय

श्रेणिक

श्री वसन्त कुमार दूबे,  
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सरकार के सभी प्रमुख सचिव

सरकार के सभी सचिव/अपर सचिव

पटना-१५, दिनांक ७ अगस्त १९७२

विषय—नियुक्ति सम्बन्धी संश्लेष में विहित अनुपात में अनुसूचित जाति/अनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे सूचित करना है कि मंत्री परिषद् के लिये भेजे गए संश्लेष में यह स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति के पदों पर विहित अनुपात में अनुसूचित जाति/अनजाति के व्यक्तियों के लिये

आरक्षण रखा गया है या नहीं? यदि उस अनुसूचित में नियुक्ति/प्रोन्नति का प्रस्ताव नहीं हो तो कारण का उल्लेख संलेख में अवश्य रहे। सरकार का आदेश है कि जिस संलेख में इस विषयक पूर्ण सूचना सन्निहित नहीं रहे उसे तुरत लौटा दिया जाय।

२. उपर्युक्त अनुदेशों से अपने विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों को पथ प्रदर्शन हेतु अवगत करा देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,  
बसन्त कुमार डूवे,  
सरकार के उप-सचिव।

आप संख्या ३ एस २-१११/७१ का०—१४७५६

पटना-१५, दिनांक ११ अगस्त, १९७२

प्रतिलिपि कामिक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रस्तावित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

आप सं० ३/आर १-१०३५/७२—१३९५७-का०।

बिहार सरकार  
कामिक विभाग

संकल्प

३१ जुलाई १९७२

विषय—अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये अराजपत्रित सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जानेवाले आरक्षित पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ लिखित परीक्षा में न्यूनतम मापदण्ड का निर्धारण।

मार्च १९७० के सरकारी निर्णयानुसार अब अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति का आधार केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति, सक्षम पदाधिकारी बिज्ञापन के माध्यम से तथा नियोजनालय द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त के बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाती है। इसके बाद योग्यता सूची के क्रमानुसार नियुक्ति की जाती है। उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा एवं साक्षात्कार की व्यवस्था का धन्य कर दिया गया है।

२। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय पदों के आरक्षण का उपबंध है तथा इन्हीं जातियों के उम्मीदवार आरक्षित पदों पर नियुक्त किये जाते हैं। फिर भी आशंका रह जाती है कि अराजपत्रित सेवाओं के लिये सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को कठिनाई होगी; क्योंकि अराजपत्रित सेवाओं के लिये इन जातियों के लिये लिखित परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित स्तर कितना रहेगा यह निश्चित नहीं है। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का सरकारी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :—

(क) सीधी भर्ती के मामले में, चाहे यह परीक्षा के जरिये की जाय अथवा अन्य प्रकार से, यदि सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित सभी

रिक्तियों को भरने के निमित्त पर्याप्त संख्या में उक्त जातियों/जन-जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित जेब रिक्तियां भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों का चुनाव किया जाय, बशर्त कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न हों। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए जितनी रिक्तियां आरक्षित हों, उन सब को, यदि सामान्य मानक के आधार पर नहीं भरा जा सकता हो, तो इन समुदायों के उम्मीदवार, आरक्षित कोटा की कमी को पूरा करने के लिये, मानक को गिथिल करके लिये जायें, बशर्त कि वे उम्मीदवार प्रश्नगत पद/पर नियुक्ति के योग्य हों। यदि इन जातियों के उम्मीदवार नियुक्ति के लिये आयोग समझे जायें तो सम्बन्धित पदाधिकारी या चयन समिति को किस कारण से अयोग्य पाये गये इसका उल्लेख करना होगा।

(ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये सुरक्षित पदों पर इन जातियों के प्रथम उन सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाय जो सभी उम्मीदवारों के लिये निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किसी पद के लिए योग्य पाये जायें। इसके बाद भी यदि इन जातियों के लिए सुरक्षित पद रिक्त रह जाते हैं तो इन जातियों के उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाय जो इन पदों के लिए अयोग्य नहीं पाये गये हों। इसका अर्थ यह होगा कि यद्यपि इन जातियों के उम्मीदवार सभी उम्मीदवारों के लिये जो स्तर निर्दिष्ट किया गया, उस स्तर के योग्य नहीं पाये गये, तो भी यदि वे नियुक्ति के अयोग्य नहीं हों, तो उसकी नियुक्ति की जाय।

(ग) साधारणतः यह लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को कम-से-कम ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों में से उनके लिये जो रिक्तियां उपलब्ध हैं उन पर वे ही नियुक्त किये जायें जिनको ६० प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। उदाहरणार्थ, मान लिया जाय कि १० पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित हैं और ६० प्रतिशत या उससे अधिक अंक उन जातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त नहीं हों तो अधिमान क्रम से इन आरक्षित पदों पर उन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाये जिनको ६० प्रतिशत से कम, किन्तु ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों।

३। उपर्युक्त आदेश इस बात को ध्यान में रखकर किये गये हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में कुछ सुविधा मिले, लेकिन साथ-ही-साथ प्रशासन में एकाग्रता बनी रहे।

आदेश—आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसके प्रति महालेखापाल, बिहार/लोक-सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष, आमुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

सं० ३/एम.-१४२/३० का १२५०९

कार्य विभाग

संकल्प

१० जुलाई १९७२

विषय—अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों जन के पदाधिकारियों की अपनी प्रोग्नति के लिये जो विभागीय परीक्षा पास करनी है उसके स्तर का दूसरों की तुलना में निम्नतर रखा जाना।

नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या ४६०४-नि०, दिनांक १४ मार्च १९७१ की कड़िका (३) में यह आदेश निर्गत किया जा चुका है कि यदि किसी पदों पर प्रोग्नति के निमित्त सक्षम होने के लिये किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यकता हो, तो उक्त

२। संकल्प संख्या २११७६-नि० दिनांक ७ दिसम्बर १९७१ के अनुसार विभागीय परीक्षा नियमावली या विभागीय परीक्षा सम्बन्धी अन्य क़ानून में यह प्रावधान करना या कि जो भी विभागीय परीक्षाएं राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं के लिए ली जाती हैं उनमें सामान्य उम्मीदवारों के निमित्त उच्चस्तर एवं निम्नस्तर के लिए जो उत्तीर्णांक रखे गये हैं वे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के निमित्त प्रत्येक विषय में उनकी अपेक्षा १० प्रतिशत कम रहेंगे। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभाग का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है।

३। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त लाभ केवल राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए ली जानेवाली विभागीय परीक्षाओं में उपलब्ध रहेगा बल्कि अराजपत्रित पदाधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षाओं में भी यह लाभ उपलब्ध रहेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सेवा की विभागीय परीक्षा उच्चस्तर एवं निम्नस्तर के पूर्णांक में १० प्रतिशत का अंतर हो तो संकल्प संख्या २११७६ नि० दिनांक ७ दिसम्बर १९७१ की कड़िका ४ में जो लाभ अवर उा-समाहृत्ताओं को उालब्ध है, वही लाभ अन्य सेवाओं के मामलों में भी उपलब्ध रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर विभागीय परीक्षा में उच्चस्तर से उत्तीर्ण किसी सेवा के पदाधिकारी जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य हैं, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो ७ दिसम्बर १९७१ के पूर्व उत्तीर्ण इन जातियों के मामलों पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाय बशर्ते कि वे निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके हों।

आदेश - आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखापाल, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग एवं सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ठाकुर प्रसाद,  
उप-सचिव।

पत्र संख्या का-१२१३३  
बिहार सरकार  
कामिक विभाग

प्रेषक

श्री रामानन्द सिंह,  
अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार,

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक १ जुलाई, १९७२

विषय - सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी सरकारी आदेशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर सरकार ने समय-समय पर जोर दिया है; किन्तु इन अनुरोधों के बारम्बार दृष्टि देखा जाता है कि सरकारी